भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3462

उत्तर देने की तारीख : 23.03.2026

एमएसएमई इकाइयों के बंद होने के कारण उनमें उत्पन्न बेरोजगारी

3462. श्रीमती सागरिका घोष :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से अब तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बंद होने की वर्ष-वार संख्या क्या है;

(ख) इन इकाइयों के स्थायी रूप से बंद होने के कारण समाप्त हुई नौकरियों की संख्या, एमएसएमई-वार और वर्ष-वार कितनी-कितनी है;

(ग) कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित एमएसएमई को प्रदान किए जाने हेतु विशिष्ट वित्तीय सहायता तथा ऋण गारंटी, जिसका वादा किया गया था, में से कितनी राशि संवितरित की गई है; और

(घ) नोटबंदी और महामारी के कारण अनुमानित हानि की तुलना में, वर्ष 2022 से अब तक एमएसएमई क्षेत्र में सृजित नई नौकरियों की वर्तमान संख्या कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल, दिनांक 01.07.2020 को शुरू किया गया था। दिनांक 28.02.2026 तक, 1.37 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बंद हो गए हैं जबकि इसी अवधि के दौरान कुल 7.83 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं। तब से कुल पंजीकृत एमएसएमई के अनुपात में बंद होने वाले एमएसएमई की संख्या 0.17% है। बंद किए गए एमएसएमई और इनमें दर्ज रोजगार का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	बंद हुए एमएसएमई की संख्या	इन एमएसएमई में दर्ज किए गए रोजगार
2020-21	175	724
2021-22	6,222	42662
2022-23	13,290	90692
2023-24	19,828	118828
2024-25	39,446	260116
2025-26 (दिनांक 28.02.2026 तक)	58,403	351592

(ग) : सरकार एमएसएमई के विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन, एसआरआई कोष, पीएम विश्वकर्मा और एमएसएमई चैंपियंस स्कीम आदि के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई को सुदृढ़ करने, वित्तीय सहायता प्रदान करने, उनका पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण करने के लिए, सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए, आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की घोषणा की गई थी। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक चालू थी, जिसमें एमएसएमई को 1.13 करोड़ गारंटियां दी गई थी। ईसीएलजीएस पर दिनांक 23.01.2023 की भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते, जिनमें से लगभग 98.3% खाते सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणियों में थे, बचाए गए।

(ii) एमएसएमई की स्थिति में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन के मामले में 3 साल के लिए गैर-कर लाभ बढ़ाया गया।

(iii) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन, जिसमें भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी / वेंचर कैपिटल कोष के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकास पूंजी प्रदान करना है।

(iv) कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से एमएसएमई की रक्षा करने और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए तथा उनके संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने दिनांक 11.04.2023 के का.ज्ञा. संख्या एफ.1/1/2023-पीपीडी के माध्यम से विवाद से विश्वास स्कीम शुरू की। कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई द्वारा अनुबंधों को निष्पादित करने में विफलता के मामलों में, बोली या कार्य-निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त की गई राशि का 95 प्रतिशत सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

(v) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामले में कोलेटरल सुरक्षा स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया था। बैंकों को अपने शाखा स्तर के कर्मचारियों को क्रेडिट गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है, जिसमें इस संबंध में उनके फील्ड स्टाफ के मूल्यांकन में उनके कार्य निष्पादन को एक मानदंड बनाना भी शामिल है। उपरोक्त सीमा अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है जो दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत एमएसई को दिए जाने वाले सभी नए ऋणों पर लागू होगी।

(घ) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत 7.83 करोड़ एमएसएमई द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 28.02.2026 को कुल रोजगार 34.50 करोड़ है और वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक (दिनांक 28.02.2026 तक) रिकॉर्ड किया गया कुल रोजगार 24.15 करोड़ है। हालांकि, महामारी के दौरान (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2021-22 तक) बंद एमएसएमई में दर्ज रोजगार केवल 43,386 था।
